Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Jamabandi Cancellation Revision Case No.- 79 /2019]

Md Gyas & Ors .....Appellant

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	01.7.2025	**आदेश** यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्त्ता, मधेपुरा के जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0-02/2014 (मो0 इजहार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक-30.9.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का ब्यौरा निम्नवत है-	

मौजा	थाना	जमाबंदी नं0	खाता (पुराना)	खेसरा (पुराना)	रकवा
मधेपुरा	61	1537	328, 329	5151, 4681	01-01-07 धूर

दिनांक-14.6.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का अभिकथन Reply/ Rejoinder में अंकित है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा कागजातों/LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि सर्वे खतियान के अनुसार प्रश्नगत जमीन गैर मजरूआ आम/खास अनावाद सर्व साधारण बिहार सरकार के रूप में दर्ज रहा है। Petitioner का यह दावा कि प्रश्नगत जमीन उनकी खरीदगी जमीन है, मान्य नहीं किया जा सकता है। चूँकि सरकारी जमीन का क्रय-विक्रय विधिमान्य नहीं है। Petitioner का यह भी कहना है कि सर्वे खतियान में गलत रूप से प्रश्नगत जमीन को गैर मजरूआ आम/खास अनावाद बिहार सरकार के रूप में दर्ज किया गया। किन्तु इस संबंध में सक्षम सर्वे अपील न्यायालय का कोई आदेश उपस्थापित नहीं किया जा सका है। इस वाद का Issue in question यह है कि मौजा-मधेपुरा जमाबंदी संख्या-1537 वैध है अथवा नहीं। उक्त जमाबंदी किस दाखिल खारिज वाद से सृजित है, इसका उल्लेख Petitioner द्वारा नहीं किया गया है। Petitioner की ओर से प्रश्नगत जमीन के निजी रैयती होने का कोई संगत साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। Petitioner द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी संख्या-1537 को कानूनी सही साबित करने संबंधी कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। न्यायालय समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता न्यायालय के प्रासंगिक आदेशों में इस मामले से संबंधित सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की पूरी विवेचना करते हुए विधिमान्य Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है।

अतएव इस जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

LCR के साथ आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।

Rajeev K.
01/7/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।
Rajeev K.
01/7/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा